ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292 PP. NO.- 59-61
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

21वीं सहस्त्राब्दि में पुलिस

बजरंग बहादुर सिंह

पी0एच0डी0– समाजशास्त्र विभाग, ग्रा0 व पो0 गद्दोपुर,बिलरियागंज, आजमगढ़ (उ0प्र0) भारत

सारांश : ***'पुलिस' राज्य की प्रतिनिधि के रूप में, कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के साथ नियमित अपराधी संहिता को लागू करती है। सदर लैण्ड[1] के इस विचार की पुष्टि काल्डवेल[2] विचारों से भी होता है कि यह (पुलिस) समाज की सुरक्षा और कानून व व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य करती है।***

कुंजीभूत शब्द– प्रतिनिधि, कानून, व्यवस्था, नियमित, अपराधी संहिता, विचार, पुष्टि, समाज, सुरक्षा ।

जैसाकि समझा जाता रहा है कि 'पुलिस' शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द 'पोलिस' तथा लैटिन शब्द 'पोलितिया' से हुआ है, किन्तु पश्चिमी विद्वानों के इस विचार की भ्रांति को डॉ0 परिपूर्णानंद वर्मा[3] ने तोड़ा कि 'पुलिस' शब्द की सही उत्पत्ति तथा उसका संगठन विश्व में सबसे पहले, सर्वप्रथम सभ्यदेष प्राचीन भारत में हुआ। उनका कथन है कि संस्कृत में 'पुर' अर्थात् नगर के निवासियों को 'पौर' कहते है, जबकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजधानी के प्रधान शासक को 'पौर' कहते थे। ईसा के 325 वर्ष पूर्व कुछ राज्यों के जनपद एवं शासकीय मण्डल या जिला शासक को भी 'पौर जनपद' कहते थे। महाभारत युद्ध के बाद के बाद ''बृहदर्थ वंश'' के राज्यकाल तक अर्थात् ईसा से 700 वर्ष पूर्वतक भारत में 'पौर जनपद' बिखरे हुये थे। समाज में सुरक्षा के लिए इन लोगों ने 'पुर–रक्षक' या 'पुर–सेवक' नियुक्त कर रखे थे–यही प्राचीन भारत की पुलिस थी। श्री वीर मिश्र[4] का कहना है कि पुरवासियों के समूह को 'पौर' कहते थे। इस पौर संगठन में 'पुर' की रक्षा करने वाले को 'पौरूष' कहने लगे थे। 'पुरू' से ही पुरूष (अधिकारी) बना है। इस प्रकार 'पुरूष' (अधिकारी) तथा पौर संरक्षक 'पौरूश' ये षब्द मिल गये थे, जिसका पाली अपभ्रंष 'पुन्निस' हो गया था जिसका प्रयोग पाली भाषा में सम्राट अशोक ने भी किया था। उसकी 'पुन्निस' का कार्य प्रजा से धर्म का पालन तथा पाप व अपराध नहीं करने देना था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यारोहण के 26 वें वर्ष जो राजाज्ञा प्रसारित की थी उसमें 'पुलिस' शब्द का स्पष्ट प्रयोग है।[5] जो गृह विभाग, न्याय, दण्ड तथा व्यवस्था देखती थी। यह भी सिद्ध हो चुका है कि भारत और मिश्र दोनों पहले मिले हुये थे, अथवा एक ही सभ्यता के अंग थे। यदि ईसा से 4500 या 4800 वर्ष पहले मिश्र अपनी सभ्यता की चरम पर था, तो वह युग भी भारत के बाद या समकालीन होगा। इसलिए भारतीय शासकीय संगठन मिश्र में भी प्रचलित रहा होगा। फिर मिश्र से असीरिया ने बहुत कुछ प्राप्त किया। वेविलोन तथा असीरिया (मेसोपोटानियन साम्राज्य) पश्चिम एशिया का महान् राज्य था, वह भारतीय आर्य सभ्यता का ही अंग था। यूनानी सभ्यता को प्राचीनतम गणतंत्र राज्य कहते हैं, पर उससे भी पहले के समय के लेखक प्राइजिटर के अनुसार भारत में 76 गणतंत्र राज्य थे। जहॉ तक पश्चिमी लेखकों का यह कहना कि 'पुलिस' शब्द का प्रारम्भ लैटिन भाषा के 'पोलितिया' शब्द से हुआ है के सम्बन्ध में कहना है कि मध्य इटली के 'लैतियन' नामक मैदानी क्षेत्र की भाषा को 'इण्डो–यूरोपियन' भाषा 'लैटिन' कहते है। पश्चिमी विद्वान इस भाषा को 2000 वर्ष पुराना कहते हैं जबकि प्राकृति–संस्कृत–पाली भाषा कम से कम 6000 से क्रमष:3000 वर्ष पुरानी है। अतः लैटिन 'पोलितिया' शब्द भारतीय 'पौरूष–पुलिस' तथा 'पुरूष' शब्द से निकला है। इसलिए भारतीय को यह गर्व होना चाहिए कि 'पुलिस' शब्द तथा 'पुलिस संगठन' का प्रारम्भ भारत से ही हुआ है।[6]

वारेन हेस्टिंग्स (1772–1785) के शासन काल में आज की भारतीय पुलिस की संरचना निर्मित हुई। उसने प्रत्येक जिले में अंग्रेजी कलक्टर नियुक्त किया जो मालगुजारी वसलूने, दीवानी व फौजदारी न्यायलय के कार्य देखने के साथ ही पुलिस का भी कार्य देखता था। कलक्टर के पास कार्य के अधिकता और अपराध रोकने हेतु समय की कमी के कारण पुलिस प्रशासन हेतु 1808 में पुलिस सुपरिन्टेंडेण्ट की नियुक्ति की गयी। 'पुलिस एक्ट 1861' के अनुसार पुलिस प्रशासन पर प्रान्तों का नियंत्रण होगा पर उनकी संख्या एवं वेतन केन्द्रीय सरकार के अनुमति से निर्धारित होगा। प्रत्येक जिले में एक सुपरिन्टेंडेण्ट तथा सहायक सुपरिन्टेंडेण्ट होगा, जिस पर वास्तविक नियंत्रण कलक्टर का होगा, जो आज तक चला आ रहा है। मद्रास, बम्बई, और कलकत्ता में लंदन की तरह पुलिस कमिष्नर नियुक्त

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

किये गये जिन पर न्यायालय तथा जिलाधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं था। प्रत्येक प्रान्त में एक इन्सपेक्टर जनरल पुलिस (I.G.) जिसके नीचे डिप्टी तथा सहायक इन्सपेक्टर होगा। स्वतन्त्र भारत में I.G. Police को 1974 के बाद Director General of Police (DGP) कर दिया गया जिसे अपने कार्य के संचालन हेतु मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और गृह सचिव से बराबर सम्पर्क में रहना होता है। D.G.P. के नीचे कई Astt. Director of Police, उसके नीचे प्रत्येक जोन के I.G. Police उसके नीचे कमिश्नरी मुख्यालय में D.I.G. Range, उसके नीचे प्रत्येक जनपद में S.S.P./S.P., उसके नीचे Ad.S.P., उसके नीचे Dy. S.P. (C.O.), उसके नीचे जिले के कतिपय कोतवाली में Police Inspector, थानों में S.I. (S.H.O.), उसके नीचे Head Constable, उसके नीचे अधिक संख्या में Consatbles और सबसे नीचे चौकीदार होते हैं। पुलिस सरंचना का वर्गीकरण–सामान्य पुलिस, रेलवे पुलिस, गुप्तचर पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस तथा सेना पुलिस के रूप में सामान्य रूप से मिलता है। S.P. के पास Reserve Police होती है जो आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायी जाती है।

जिला पुलिस के दो भाग होते हैं–

(1) सिविल पुलिस (C.P.)

(2) सषस्त्र पुलिस (A.P.)

सिविल पुलिस प्रशासन का, और सशस्त्र पुलिस सुरक्षा का कार्य देखती है। जिला पुलिस के साथ एक अपराध शाखा (LIU) भी होता है जो धरना, प्रदर्शन, जलूस की पूर्वसूचना के साथ अपराधी व अराजक तत्वों की खोजबीन का कार्य करती है। उपलब्ध सूचना वर्ष 2005 की है जिसके अनुसार भारत में सिविल पुलिस तथा जनपदीय सषस्त्र पुलिस के वास्तविक बल की संख्या 10,46,575 रही जबकि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल संख्या 1,20,139 रही। नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार बल में 1,52,933 पुलिसकर्मी थे और 2009 में यह संख्या लगभग 1,70,000 की रही। देश में महिला पुलिस बल (जनपदीय सशस्त्र पुलिस के साथ) 40,101 रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 2,128 पायी गयी। महिला सशस्त्र पुलिस केवल 13 राज्यों (आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, झारखण्ड कर्नाटक, नागालैण्ड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अण्डमान निकोवार द्वीप समूह, दिल्ली तथा पाण्डिचेरी) में ही है। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर 12,487 पुलिस स्टेशन तथा 295 महिला पुलिस स्टेशन देश में है। भारत में प्रतिलाख जनसंख्या पर पुलिस बल की संख्या का औसत 122 आता है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर 84 पुलिसजन का औसत आता है।[7]

पुलिस की प्रकार्यात्मक स्थिति–

1. प्रशासनिक कार्य
2. अपराधों का पता लगाना तथा अपराधियों के गिरतारी से सम्बन्धित कार्य।
3. देश में प्रचलित कानून तथा व्यवस्था के अनुसार जनता में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखना।
4. अपराध के रोकथाम के लिए उचित कदम उठाना।
5. लोक सम्पत्ति की रक्षा तथा उसके हानि का निवारण करना।
6. सभी सरकारी विभागों को अपराध रोकने में सहयोग देना।
7. जिन लोगों को जान–माल का खतरा हो उनकी रक्षा करना।
8. जन समुदाय में सुरक्षा की भावना विकसित करना।
9. यातायात नियंत्रण का कार्य करना।
10. आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना।
11. राष्ट्रीय सुरक्षा, साम्प्रदायिक एकता तथा अपराध व अपराधियों की सूचना एकत्रित करना और उससे सम्बन्धित खतरों से रक्षा करना।
12. उन सभी कार्यों को करना जो वैधानिक रूप से उनके दायित्व से सम्बन्धित है।
13. आतंकवाद तथा नक्सलवाद की स्थितियों से निपटना।

21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर इस दिशा में पुलिस की भी आधुनिकीकरण की अपरिहार्यता बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। भारत की अपेक्षा पाश्चात्य देशों में पुलिस का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति पर है। जासूसी कुत्ते, फिंगर प्रिंट, सर्विसलान्स द्वारा अपराधिक मोबाइल गतिविधियों का पता लगाना, साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास करना। स्विटजरलैण्ड में लाजेन वि0वि0 ने ऐसी जॉच की अद्भूत तकनीकि विकसित किया है कि दुर्घटनाग्रस्त मोटरकार के सामने लैम्प से चाहे दिन या रात की दुर्घना हो, दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सकता है। भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा कार दुर्घटना का पूरा विवरण, समय, मौसम आदि की जॉच कर आकड़ें एकत्रित करके प्रमुख कम्प्यूटर में भर दिये जायेगें और इसी से उत्तर प्राप्त किया जायेगा। कुछ समय बाद इसी कम्प्यूटर से यातायात के अद्यतन अपराधियों की चेतावनी दी जा सकेगी। पुलिस बल के लिए 'Automax Computor System' आवश्यक है। अपराधी हत्या के बाद अपने शरीर और कपड़े की सफाई

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

करके उसके सबूत को समाप्त करने के 50 दिन के बाद भी खून के निशान 'Altrasielent' नामक यंत्र के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में विज्ञान के अधिकतम प्रयोग में अपराधी और पुलिस में प्रतिद्वन्द्वता चल रही है कि कौन किसको हरा सकता है। पश्चिमी देशों के अपराध अनुसंधान की अपेक्षा भारतीय पुलिस बहुत पीछे है, क्योंकि वह डण्डे के बल पर अपराधी की खोज करना चाहती है।[8]

अपराधों की रोकथाम तथा अपराधिक घटना के मुख्य अपराधियों की जानकारी के लिए पुलिस की सूचनातन्त्र उतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि सम्बन्धित अपराधियों की जानकारी लोग स्वेच्छा से इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा न तो प्रोत्साहन व पुरस्कार और न ही उनके जीवन की सुरक्षा की गारण्टी दी जाती है जैसा कि विदेषों में मिलता है।

21वीं शताब्दी की पुलिस सफलता और नैतिकता इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सफलता की कसौटी क्या होनी चाहिए? मेरा मत है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनको हासिल करने में मिली सफलता को कसौटी पर कसना चाहिए। वह तंत्र सफल है, वह सरकार सफल है, वह व्यक्ति सफल है जिसने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य नैतिक हैं अथवा अनैतिक हैं यह अलग विषय है। यदि निर्धारित लक्ष्य अनैतिक है फिर भी किसी व्यक्ति, सरकार या तंत्र ने उसे प्राप्त कर लिया है तो वह सफल व्यक्ति, सफल तंत्र, सफल सरकार कहलाने का अधिकारी निश्चित रूप से होगा। भले ही यह निष्कर्ष दिया जाये कि अमुक व्यक्ति, तंत्र एवं सरकार अनैतिक है। इसी दर्शन के तहत हमें 20वीं सदी (भविष्य) की पुलिस के बारे में निर्णय निकालना होगा अथवा परिकल्पना प्रस्तुत करनी होगी। ब्रिटिश कालीन पुलिस का लक्ष्य यह था कि वह ब्रिटिश विरोधी कार्य करने वाले लोगों को दबाकर रखे। स्वाधीनता का जो संघर्ष चल रहा था उसे वह निर्ममतापूर्वक दमित करें, आन्दोलनकारियों के एवं देशभक्त जनता के ब्रिटिश विरोधी स्वर को न उठाने दें। ब्रिटिश पुलिस ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इस प्रकार वह अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रही।

इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पुलिस ने जो क्रुरताएँ, बर्बरताएँ एवं संवेदनहीन चरित्र का परिचय दिया वे नैतिकता की कसौटी पर अनुचित थे। इसलिए ब्रिटिश कालीन पुलिस सफल किन्तु अनैतिक सम्मान से नवाजी गयी।

जहाँ तक वर्तमान, आजादी के बाद की पुलिस का संबंध है इसके लिये लक्ष्य तो यह रखे गये कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का प्राप्त करें, कल्याणकारी राज्य के आदर्श के सपनों को साकार करें। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी प्रदान करें। इस लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही उसे सफलता की कसौटी पर खरा माना जा सकता है। परन्तु हम पाते हैं कि हमारी पुलिस इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं, साथ ही ब्रिटिश काल की क्रूरताओं, बर्बरताओं तथा संवेदनहीनता से भी वह मुक्त नहीं हो सकी है। परिणाम यह हुआ कि आजादी के बाद वर्तमान की पुलिस असफल एवं अनैतिक पदवी से जवाज दी गयी। संक्षेप में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की पुलिस यदि सफल एवं नैतिक थी तो गम्भीर चूक एवं उपेक्षा के कारण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वह असफल एवं अनैतिक बन गयी।

21वीं शताब्दी के पुलिस को विशेष रूप से चरित्र निर्माण एवं संस्कार सुदृढ़ीकरण को जो वरीयता प्रदान की गयी है उससे पुलिस बल को सफल एवं नैतिक बल के सम्मान को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकेगा। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि 21वीं सहस्त्राब्दी की हमारी पुलिस को यह उपाधि मिले कि वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल है और नैतिक भी है।[9]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उडविन एच0 सदरलैण्ड एण्ड डोनाल्ड आर0क्रेजी : प्रिसिंपुल्स ऑफ क्रिमिनोलाजी, सिक्थ एडिशन, द टाइम्स इण्डिया प्रेस, 1968, पृ0 330.
2. जी0 काल्डवेल : क्रिमिनोलाजी, द रोनाल्ड प्रेस कं0 1956 पृ0 255.
3. डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा : भारतीय पुलिस (ई0पू0 3000 से 1984 तक), विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1984.
4. श्री वीर मिश्र : वीर मित्रांदय (मिताक्षरा कानून व्याख्याता) ।
5. डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा : भारतीय पुलिस (स्तम्भलेख, दिल्ली–शिवालिक, 4) पृ0 1 व 2 .
6. पूर्वोत्तर
7. क्राइम इन इंडिया, क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली 2005.
8. डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा : अपराध के नये आयाम तथा पुलिस की समस्याये, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1998 पृ0 105.
9. डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय : नयी सहस्ताब्दि में पुलिस कैसी हो।

*****